



Creating
an inclusive
community
together



ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021-2031

ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021 - 2031 क्या है?

ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021 - 2031 (कार्यनीति) एक राष्ट्रीय ढांचा है, जिसपर ऑस्ट्रेलिया में सभी सरकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। यह अगले दस वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में विकलांगता-ग्रस्त लोगों के जीवन में सुधार करना जारी रखने के लिए एक योजना निर्धारित करती है। यह कार्यनीति सर्वप्रथम राष्ट्रीय विकलांगता कार्यनीति 2010-2020 को प्रतिस्थापित करती है और इसके आगे निर्माण करती है। यह कार्यनीति विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) के तहत ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है।

यह कार्यनीति क्या करेगी?

कार्यनीति का दृष्टिकोण एक समावेशी ऑस्ट्रेलियाई समाज प्राप्त करना है, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकलांगता-ग्रस्त लोग समुदाय के अन्य सदस्यों के समरूप अपनी क्षमता प्राप्त कर सकते हैं।

यह कार्यनीति सात परिणाम क्षेत्रों में परिवर्तन का संचालन करेगी:



रोजगार और आर्थिक सुरक्षा:

विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियाँ और करियर के अवसर प्रदान करना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनके पास पर्याप्त आय सुनिश्चित करना।



शिक्षण और सीखना:

विकलांगता-ग्रस्त लोगों को अपने पूरे जीवन-भर शिक्षण और सीखने की सुलभता प्राप्त करने के लिए समर्थित करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक आगे बढ़ सकें।



समावेशी आवास और समुदाय:

सुलभ, किफायती और अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए आवासों की संख्या में वृद्धि करना और एक समावेशी तथा सुलभतायुक्त समुदाय का निर्माण करना।



स्वास्थ्य और सकुशलता:

विकलांगता-ग्रस्त लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य-देखभाल क्षेत्र में समर्थन एवं क्षमता में वृद्धि करना, और आपदा की तैयारी तथा आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में विकलांगता-ग्रस्त लोगों की आवश्यकताओं का समावेशन सुनिश्चित करना।



सुरक्षा, अधिकार और न्याय:

यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों के अधिकारों को प्रोत्साहन, मान्यता और संरक्षण दिया जाए तथा विकलांगता-ग्रस्त लोग सुरक्षित महसूस करें और कानून के समक्ष समानता प्राप्त कर सकें।



सामुदायिक दृष्टिकोण:

समाज में विकलांगता-ग्रस्त लोगों के सकारात्मक योगदान को मान्यता देना, और विकलांगता-ग्रस्त लोगों के साथ काम करने और संलग्न होने के लिए समुदाय में विश्वास का निर्माण करना।



व्यक्तिगत और सामुदायिक समर्थन:

विकलांगता-ग्रस्त लोगों को समर्थनों की सुलभता प्रदान करना, ताकि वे स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जी सकें और अपने समुदायों के साथ संलग्न बन सकें।



यह कार्यनीति विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए सुधार कैसे प्राप्त करेगी?

कार्यनीति को विकलांगता-ग्रस्त लोगों के जीवन में सुधार लाने में सहायता देने के लिए:



• प्रत्येक परिणाम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नीति प्राथमिकताओं के अनुरूप वितरण के लिए सरकारें गतिविधियाँ शुरू करेंगी।



• अनेकानेक लक्षित कार्य योजनाएँ बनाई जाएँगी, जो सरकारों को विशिष्ट कार्य-कलापों के लिए प्रतिबद्ध करेंगी। पहली पांच लक्षित कार्य योजनाएँ रोजगार, सामुदायिक दृष्टिकोण, आरंभिक बचपन (एर्ली चाइल्डहुड), सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन के बारे में हैं।



• प्रतिवर्ष सार्वजनिक रिपोर्टें बनाई जाएँगी, जो प्रगति का मापन करेंगी तथा और अधिक प्रयास की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करेंगी।



• विकलांगता-ग्रस्त लोगों के पास सरकारों को यह बताने के तरीके उपलब्ध होंगे कि उनके विचार में कार्यनीति को क्या करने की आवश्यकता है। इसमें विकलांगता-ग्रस्त लोगों की सदस्यता वाली एक सलाहकार परिषद और विकलांगता-ग्रस्त लोगों के बारे में नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक परामर्श एवं मंच भी शामिल हैं।

कार्यनीति के बारे में सरकारों ने किसके साथ परामर्श किया?

सरकारों ने कार्यनीति को विकसित करने के हिस्से के रूप में 3,000 से भी अधिक विकलांगता-ग्रस्त लोगों और उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं और प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया।

परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया ने कार्यनीति को काफी अधिक प्रभावित किया।

मुझे और अधिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?

आप वेबसाइट www.disabilitygateway.gov.au/ads पर ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021 - 2031 पढ़ सकते/सकती हैं तथा और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

यह कार्यनीति और इसके सहायक दस्तावेज ईज़ी रीड, ऑस्लैन और भाषा अनुवादों में उपलब्ध हैं।

यदि आपके पास कार्यनीति के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया australia'sdisabilitystrategy@dss.gov.au पर ईमेल भेजें।

आपको विकलांगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html पर मिल सकती है।

